

↳ अनु०-34 का विपरित कौन-सा शूल अधिकार

↳ सेना विधि लागू होने ही शूल अधिकार समाप्त

↳ अनु०- शूल अधिकार को अल्पीकरण करने वाली विधि प्रभावहीन या शून्य होगा, लेकिन शूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनु०-32.

↳ संवैधानिक उपचारों का अधिकार

↳ SWrit (SC)

13

भाग-५
अनु०-36-51

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) Directive principle of State Policy.

↳ राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत शासन अधि० 1935 का "अनुदेश पत्र" कहा गया।

↳ इसे आयरलैंड से लिया गया है।

↳ इसे स्पेन से लिया

एथेंस
॥
बिलोडी

स्पार्टा
॥
लाकतवर व्यक्ति.

↳ इसका उद्देश्य राज्यों को कल्याणकारी बनाना तथा सामाजिक और आर्थिक व्याप की स्थापना।

↳ यह राज्यों के शासन का मूलभूत अधिकार है।

↳ इसे राज्य अपनी सुविधानुसार लागू करेगा।

{- K.T. शाह ने कहा- DPSP ऐसे बैंक का चेक है, जिसे अपनी सुविधानुसार भुगतान करेगा।

↳ यह न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है।

↳ मिर्वाभील्स मामले मे 42वाँ C.A-M-1976 के द्वारा DPSP को शूल अधिकार पर वरियता दिया गया।

↳ इसमे उदारवाद , गौंधीवाद और समाजवाद है , अर्थात बड़े लोगों का बील है।

⇒ उदारवाद — B.R. अम्बेडकर

गौंधीवाद — महात्मा गौंधी

समाजवाद — पं० जवाहरलाल नेहरू

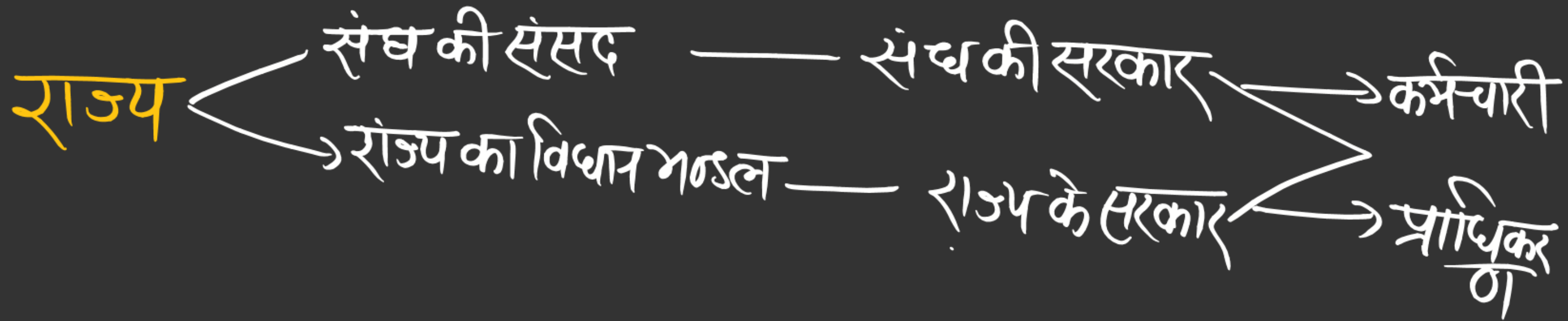
} बड़े लोग ।

↳ DPSP को भारतीय संविधान का "पुष्ट" कहते है।

↳ यह सकारात्मक है।

अनु०-36:- "राज्य" को परिभाषित किया गया है।

↳ अनु०-12 की तरह



अनु०-37: राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लागू होना—

- इसे राज्यों के द्वारा लागू किया जायेगा।
- यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनिय नहीं है।
↳ स्थापना / लागू
- राज्य अपने विधि निर्माण में इसका प्रयोग कर सकेगा।

~~Group~~
✓ अनु-38÷

राज्यों की कल्याणकारी बनाने के लिए
आर्थिक असमानता तथा अवसर की असमानता
को समाप्त करना।

अनु-39÷ कुछ DPSP को राज्यों द्वारा अपनाया गया—

- a÷ महिला और प्रहस व्यापार कर सकते हैं।
- b÷ भौतिक संसाधन के स्वामित्व पर नियन्त्रण.
- c÷ धन का संके-डा नहीं कर सकते हैं।

गुं d - महिला और पुरुष की समान कार्य के बढते समान वेतन।

e - बच्चों, भजपुरों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

गुं f - बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का प्रावधान - इन्फेन्थ्रस, पोलियो, BCG.

गुं g - आरु-39-A - 42वां C.A.A. 1976 के द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सलाहकार का प्रावधान किया गया है।

गरीब व्यक्तित

वैयक्तिक आय 5 लाख से कम है।

gmp.

अनु-५०:-

↓
भाग-५

पंचायत का गठन:-

↳ नगरीय और ग्रामीण दोनों के लिए
पंचायत का गठन।

Note:- पंचायती राज व्यवस्था

↳ भाउ- २५३

↳ भाग- ९

Speed

DPS P- भाग 4.

प्रस्तावना

भाग-1

1-

2-

3-

4-

नागरिकता
भाग-2-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

भाग-3-

मूल अधिकार

12-

13-

14-

15-

15-घ.

16-

16-घ

17-

18-

19-

20-

21-

21A.

22-

23-

24-31

25-32

26-33

27 34

28. 35

29

30